"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2011—ज्येष्ठ 6, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री विजयेन्द्र, भा.प्र.से. (एएम-1991) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खनिज साधन विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-17/2010/16.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-8-2010 द्वारा कार्य प्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन किया गया था. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना की कंडिका-5 में नियोजक के प्रतिनिधि के रूप में प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर का नाम प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक एफ 13-8/2004/29/खाद्य.—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (क्र. 10 सन् 1955) की धारा 3 सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश क्रमांक जी. एस. आर. 630 (ई) दिनांक 31-08-2001 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

1. खण्ड-9 के उपखण्ड (3) के उपखण्ड (क) के प्रविष्टि क्रमांक (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि क्रमांक अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(छ:) राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रम"

2. खण्ड-9 के उपखण्ड (4) के उपखण्ड (क) के प्रविष्टि क्रमांक (चार) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि क्रमांक अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(पांच) राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रम"

No. F 13-8/2004/food/29.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the Public Distribution System (Control) Order No. G.S.R. 630 (E) dated 31-08-2001 issued by Government of India, Ministry of Consumer affairs, Food & Public Distribution, the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said order,—

1. After entry number (v) of sub-clause (a) of sub-clause (3) of clause 9, the following entry number shall be inserted, namely :—
   "(vi) Public sector undertaking specified by the State Government.".

2. After entry number (iv) of sub-clause (a) of sub-clause (4) of clause 9, the following entry number shall be inserted, namely :—
"(v) Public sector undertaking specified by the State Government."

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक एफ 4-40/2003/29/खाद्य.—भारत सरकार के उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग) के आदेश क्रमांक एस. ओ. 681 (ई) तारीख 30 नवंबर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

1. खण्ड-7 के उप-खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(2) इस आदेश के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, पुनः जारी किए जाने या नवीनीकरण के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी :—
(क) एक वर्ष के लिए रुपए 1,200/-
(ख) दो वर्ष के लिए रुपए 2,400/-
(ग) तीन वर्ष के लिए रुपए 3,600/-"

2. खण्ड-8 में, शब्द "रुपए एक हजार" के स्थान पर, शब्द "रुपए पांच सौ" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. खण्ड-14 के उप-खण्ड (1) में, शब्द "रुपए एक लाख" के स्थान पर, शब्द "रुपए बारह हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

No. F 4-40/2003/29/food.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the order of the Government of India, Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) order No. S.O. 681 (E) dated 30th November, 1974 the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (Licensing and Control) Order, 1980, namely :—

AMENDMENT

In the said order,—

1. For sub-clause (2) Clause 7, the following sub-clause shall be substituted, namely :—
"(2) The fee payable for the issue, re-issue or renewal of a license under this order, shall be as under :—
(a) For one year Rs. 1,200/-
(b) For two year Rs. 2,400/-
(c) For three year Rs. 3,600/-"

2. In Clause 8, for the words "Rupees One Thousand", the words "Rupees Five Hundred" shall be substituted.

3. In Sub-clause (1) of Clause 14, for the words "Rupees One Lakh", the words "Rupees twelve thousand" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक 03/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पासीद	0.56	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	विद्या एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक 24/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जयराम नगर प. ह. नं. 38	1.32	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	देवगांव व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक 25/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	खुड़ूभाठा प. ह. नं. 38	4.64	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	देवगांव व्यपवर्तन योजना के दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2011

रा. प्र. क्र. 28 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	मैनपुरी प. ह. नं. 23	5.697	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	मैनपुरी जलाशय के विस्तारीकरण में डूबान, बांध पार एवं नहर में अर्जित भूमि.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 10 मई 2011

रा. प्र. क्र. 03 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	सिंगपुर प. ह. नं. 30/16	0.490	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, कवर्धा.	छपरी से सरोधा सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2011

रा. प्र. क्र. 02 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-छिरहा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.454 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90/3	0.154
90/4	0.085
94/3	0.129
95/1	0.049
95/3	0.069
98/1	0.113
136/5	0.028
137/1	0.138
138/1	0.004
138/4	0.121
139/3	0.065
139/4	0.057
143/1	0.004
143/6	0.154
143/11	0.008
143/5	0.283
143/13	0.020
143/14	0.008
143/15	0.029

(1)	(2)
143/16	0.028
143/17	0.029
143/18	0.024
143/19	0.016
143/30	0.024
143/20	0.012
143/21	0.008
143/22	0.021
143/23	0.025
143/24	0.036
143/25	0.025
143/26	0.012
143/27	0.020
143/28	0.025
143/29	0.008
146/4	0.097
146/5	0.077
146/6	0.097
147/1	0.012
150/5	0.024
151/7	0.243
151/8	0.057
151/9	0.016
योग 42	2.454

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव मार्ग से रायपुर मार्ग तक बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2011

रा. प्र. क्र. 03 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-घोठिया, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.047 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57/3	0.047
योग 1	0.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव मार्ग से रायपुर मार्ग तक बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2011

रा. प्र. क्र. 10 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-गोधाटोला, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.343 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86/1	0.330

	(1)	(2)
	190/80	0.270
	83	1.731
	175/2/83	1.012
योग	4	3.343

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र में आने से.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2011

रा. प्र. क्र. 16 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पवनतरा, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.850 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	205	0.050
	206/1	0.040
	206/2	0.030
	206/3	0.010
	206	0.160
	208	0.190
	163	0.400
	197/1	0.720
	204	0.250
योग	09	1.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2011

रा. प्र. क्र. 17 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.335 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	138/1	0.060
	138/3	0.128
	138/2	0.147
योग	3	0.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत पवनतरा सोनझरी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 मई 2011

रा. प्र. क्र. 17 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कनवाटोला, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
32	0.288
38	0.333
39	0.300
91/1	0.080
91/2	0.160
91/3	0.102
42	2.665
44	0.720
40/1	0.292
40/2	0.292
40/3	0.296
54	0.428
55	0.048
59	0.180
60	0.270
61	0.374
62	0.180
64	0.408
63	0.180
66/2	0.260
115	0.485
116	0.005
118	0.880
योग 23	9.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 2/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-जेवरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.09 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
945	0.20
947/1	0.04
947/2	0.03
972	0.32
973	0.09

(1)	(2)
923	0.06
974	0.02
936	0.06
933	0.01
920/1	0.03
937/1	0.02
937/2	0.04
934/1	0.02
932	0.03
931/1	0.03
931/2	0.03
934/2	0.02
977	0.20
940	0.22
943	0.11
941/2	0.04
941/4	0.19
941/5	0.06
906, 907	0.22
योग 25	2.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जेवरा जलाशय बायीं मुख्य नहर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 12/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
  (ख) तहसील-मस्तूरी
  (ग) नगर/ग्राम-बिटकुला
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.24 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2/2	0.37
2/3	1.90
5/2	1.13
5/3	0.50
6/1	0.40
8/4	1.94
योग 6	6.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामवतार जलाशय योजना वेस्ट वियर एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 13/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
  (ख) तहसील-मस्तूरी
  (ग) नगर/ग्राम-नरगोड़ा
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.70 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
252	0.18
1559	0.10
1560	0.20
1561	0.05
1565	0.12
1564	0.07

(1)	(2)
1652	0.13
1651/1	0.07
1651/2	0.12
1673	0.09
1675	0.12
1677	0.13
1743	0.08
1746	0.13
1753	0.19
1754	0.12
1721/1	0.12
1721/2	0.13
1797	0.11
1798/1, 1798/2	0.13
1801	0.10
1802/1, 1802/2	0.08
1833/2	0.13
योग 25	2.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिटकुली (कबीरधाम) जलाशय के नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 17/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
 (ख) तहसील-बिलासपुर
 (ग) नगर/ग्राम-कछार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.18 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
325	0.08
327	0.34
443	0.67
450	0.59
459/1	0.32
449/2	0.09
459/2	0.24
457/2	0.18
460	0.09
458/1	0.20
458/2	0.15
458/3	0.15
457/1	0.38
472/1	0.58
427/5	0.11
472/2	0.78
473	0.05
474	0.05
475/1	0.08
546/2	0.23
546/1	0.40
545	0.15
547/2	0.27
योग 23	6.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लछनपुर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 18/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-अमतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.09 एकड़ .

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
72	0.45
73	0.27
74	0.04
71	0.40
82/2	0.49
87	0.78
82/3	0.39
82/1	0.48
96	0.69
88	0.25
95	0.09
147	0.81
149	0.15
153	0.19
154	0.55
150	0.04
145	0.15
148	0.18
266/2	0.09
266/3	0.09
266/4	0.06
271	0.45
योग 22	7.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लछनपुर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक क/खलि/तीन 1/09/1508.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत, जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात्, आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डमरू	61	बलौदाबाजार	15/1 (शासकीय घास भूमि)	4.48 एकड़	श्री चन्द्रकांत विश्नोई को चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 27-03-2006 से 26-03-2011 तक स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th April 2011

No. 316/Confdl./2011/II-1-1/2001.—Hon'ble Shri Justice Dhirendra Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has relinquished charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 23-04-2011 in the afternoon on attaining the age of 62 years.

Bilaspur, the 4th May 2011

No. 328/Confdl./2011/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri R. C. S. Samant, Presently District & Sessions Judge, Raigarh is appointed as Registrar (Vigilance), in the Establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 4th May 2011

No. 330/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Anuradha Khare, Judge, Family Court.	Bilaspur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	District & Sessions Judge.
2.	Shri Shiv Mangal Pandey, District & Sessions Judge.	Kabirdham (Kawardha)	Raigarh	Raigarh	District & Sessions Judge.
3.	Smt. Vimla Singh Kapoor Judge, Family Court.	Janjgir-Champa	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	District & Sessions Judge

Bilaspur, the 4th May 2011

No. 332/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column

No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Siddharth Aggarwal, Civil Judge Class-II.	Simga	Raipur	Raipur	VII Civil Judge Class-II
2.	Shri Vivek Kumar Verma, Civil Judge Class-II.	Bacheli	Simga	Raipur	Civil Judge Class-II
3.	Shri Balram Kumar Dewangan, Civil Judge Class-II.	Dantewara	Bacheli	Dantewara	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 9th May 2011

No. 337/Confdl./2011/II-2-1/2011.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Prabhat Kumar Shastri, Legal Advisor, Chhattisgarh Lok Ayog.	Raipur	Jashpur-Nagar	Jashpur	District & Sessions Judge.

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2011

क्रमांक 2766/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता. 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 7997/तीन-6-7/2000 दिनांक 15 नवम्बर 2007 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री छमेश्वर लाल पटेल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक 49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

Bilaspur, the 10th May 2011.

No. 2766/III-6-7/2000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 7997/III-6-7/2000, dated 15 November 2007 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Shri Chhameshwar Lal Patel, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law & Legislative Affairs Department, Notification No. D/2262/21-B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 26th April 2011.

No. 362/L.G./2011/II-2-20/2007.—Smt. Kanta Martin, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 02-05-2011 to 07-05-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Martin, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 256 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 26th April 2011

No. 364/L.G./2011/II-2-9/2005.—Smt. Anita Jha, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 02-05-2011 to 05-05-2011 and permission to prefix holiday of 01-05-2011 (Sunday) along with permission to leave headquarters after the office hours on 30-04-2011 till before the office hours on 06-05-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 168 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.